राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना

सरकार बनाम मोहनलाल

किस्मः– एफएसएसए एक्ट; **नमूना कोडः– एफ–3667** **मुकदमा नम्बरः– 119/2023**

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(।।)
एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

03/11/2023 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीकर एवं अप्रार्थी श्री देवीसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मुकन्दसिंह राजपुरोहित, जाति राजपुरोहित, निवासी कल्याणपुर, तहसील बालोतरा, जिला बाडमेर; मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मैन मार्केट, गणेश्वर, तहसील नीम का थाना जिला सीकर हाल जिला नीम का थाना उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 21.06.2023 को समय 12:45 पी.एम. पर मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मैन मार्केट, गणेश्वर, तहसील नीम का थाना जिला सीकर हाल जिला नीम का थाना का निरीक्षण किया। वहां पर विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम देवीसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मुकन्दसिंह राजपुरोहित होना बताया व स्वयं को उक्त मैसर्स का विक्रेता व मालिक होना बताया। विक्रेता देवीसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मुकन्दसिंह राजपुरोहित ने निरीक्षणार्थ मौके पर वर्ष 2023 का खाद्य रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति व आधारकार्ड की छायाप्रति पेश किया।

मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मैन मार्केट, गणेश्वर, तहसील नीम का थाना जिला सीकर हाल जिला नीम का थाना पर निरीक्षण के समय विक्रेता के द्वारा **मावा** का विक्रय किया जा रहा था। विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ **मावा** में मिलावट का संदेह होने पर फर्म पर उपलब्ध एक लोहे के पीपे में लगभग 5 किलोग्राम मावा स्टोक में से वास्ते नमूना जाँच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच हेतु उपलब्ध स्टोक में से 1 किग्रा मावा खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को 300 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया। अप्रार्थी ने कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर **एफ–3667** खाद्य पदार्थ **मावा** का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ **मावा** का विक्रय कर[illegible] सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2([illegible]) का उल्लंघन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक [illegible] दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से [illegible] आये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:08:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 11000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

आदेश आज दिनांक 03.11.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:08:49 IST
Reason: SelfAttested